सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
"मंत्रालय"
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 44 /जी–1646/2013/1–सूअप्र नया रायपुर, दिनांक 09/01/2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :– अपील आवेदन पत्र में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित करने के संबंध में।

संदर्भ :– इस विभाग का परिपत्र क्र.3610/जी.1646/2011/1–सूअप्र, दिनांक 30.12.2011.

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत इस विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र का कृपया अवलोकन करें। उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार अभी भी कई विभागों, विभागाध्यक्षों एवं कलेक्टर्स कार्यालयों में उनका पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के कक्ष के बाहर उनका नाम एवं पदनाम की पट्टिका तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् कार्यालय में सूचना पटल पर भी उनके नाम एवं पदनाम की जानकारी दर्शायी जाए।

समस्त सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश अथवा पत्राचारों में उनका नाम एवं पदनाम आवश्यक रूप से अंकित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं।

संलग्न :– संदर्भित परिपत्र।

9/1/2013

(जी.आर.चुरेन्द्र)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

.....निरंतर

पृ.क्र. 45 /जी.1646/2011/1—सूअप्र, नया रायपुर, दिनांक 09 /01/2013

प्रतिलिपि:—

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
3. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
4. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर उनके पत्र क्र.1763/स्था./छगरासूआ/दि 11.12.2012 के संदर्भ में।
7. संचालक, जनसंपर्क कार्यालय, रायपुर।
8. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर वेबसाईट www.cg.in/gad/RTI पर अपलोड हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

9/1/2013

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 3610 / जी.1646 / 2011 / 1—सूअप्र. रायपुर, दिनांक 30 / 12 / 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः— अपील आवेदन पत्र में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित करने के संबंधी।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि आयोग में प्राप्त होने वाले अपील / शिकायत के प्रकरणों में अपीलार्थियों / शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रायः जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम एवं पते का उल्लेख नहीं किया जाता है, जिसके कारण ऐसे प्रकरणों में आयोग को, विलम्ब से जानकारी देने अथवा भ्रमपूर्ण / अपूर्ण जानकारी देने के लिए, जिम्मेदार जनसूचना अधिकारी का निर्धारण करने में भ्रम की स्थिति निर्मित होती है एवं इसके फलस्वरूप प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है। आयोग ने इस संबंध में शासन स्तर से समुचित निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

2/ इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राज्य शासन द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (अपील) नियम, 2006 के नियम 3(2) एवं 4(2) में विधिक प्रावधान किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं :—

नियम 3(2) — इस नियम में प्रथम अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता तथा जनसूचना अधिकारी का नाम तथा पदनाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने का प्रावधान है।

नियम 4(2) — इस नियम में द्वितीय अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिसके आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील की जा रही है, उसका नाम तथा पदनाम और जिस आदेश के विरूद्ध अपील की जा रही हो, उस आदेश की सत्यापित प्रति देने का प्रावधान है।

3/ कृपया उपरोक्त विधिक प्रावधानों से आपके विभाग / कार्यालय में नियुक्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अवगत कराएं एवं निर्देशित करें कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपीलार्थी द्वारा उन्हें प्रस्तुत किए गए प्रथम अपील के ज्ञापन में जनसूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए।

4/ उपरोक्त के अलावा कृपया यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के कक्ष के बाहर उनका नाम एवं पदनाम की पट्टिका तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् कार्यालय में सूचना पटल पर भी उनके नाम एवं पदनाम की जानकारी दर्शायी जाए।

5/ समस्त सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेश अथवा पत्राचारों में उनका नाम एवं पदनाम आवश्यक रूप से अंकित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

6/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(के0आर0 मिश्रा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
एंव जनसूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्र.3611 /जी.1646/2011/1—सूअप्र. रायपुर, दिनांक 30/12/2011

प्रतिलिपि :—

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
3. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
4. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर उनके पत्र क्रमांक 1093/स्था/11/छगरासूआ, दिनांक 3.10.2011 के संदर्भ में।
7. संचालक, जनसंपर्क कार्यालय रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
एंव जनसूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
"मंत्रालय"
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक 149 /जी–1721/2013/1–सूअप्र, नया रायपुर, दिनांक 24 /01/2013

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् विभागीय जानकारी का इन्टरनेट पर स्व–प्रकटीकरण।

संदर्भ :– इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 3110/जी–1721/2011/1–सूअप्र दिनांक 18.06.2012 एवं 24.11.2012

——00——

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों का अवलोकन हो। संदर्भित पत्रों द्वारा वांछित जानकारी अपने विभाग की वेबसाईट में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) के माध्यम से अपलोड कर इस विभाग को अवगत कराने हेतु लिखा गया था। जिसकी जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः निर्देशानुसार उक्त प्रकरण मे तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर इस विभाग को को अवगत कराने का कष्ट करें।

24/1/13
(जी.आर.चुरेन्द्र)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0कमांक 150 /जी–1721/2013/1–सूअप्र, नया रायपुर, दिनांक 24 /01/2013

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड, शंकर नगर, रायपुर।
3. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, महिला थाना के पास, रायपुर।
4. समस्त संभागायुक्त।
5. समस्त कलेक्टर।
6. प्रशिक्षण संचालक, छ.ग.शासन, प्रशासन अकादमी, नया रायपुर।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, नया रायपुर
8. स्टॉक पंजी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

24/1/13
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

समय–सीमा

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, केपीटल काम्पलेक्स, नया रायपुर

क्रमांक 941 /जी–1418/2012/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 08/02/2013

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4 के संबंध में जनहित याचिका क्रमांक WP (PIL) 35/2012 में माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2012 के अनुपालन बाबत्।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र दिनांक 4000/जी–1418/2012/1–सूअप्र, रायपुर, दिनांक 13/12/2012

———0———

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4 की अपेक्षा अनुसार विभागों से संबंधित जानकारियॉ वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निर्देश दिये गये थे। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित याचिका में पारित आदेश दिनांक 24.09.2012 में छः माह के अन्दर कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

2/ आदेशानुसार पुनः निर्देशित किया जाता है कि अपने विभाग की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4 के अनुसार वेबसाईट में अपलोड करते हुए दिनांक 14.02.2013 तक पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें, जिसे संकलित कर मुख्य सचिव महोदय को प्रस्तुत किया जाना है। दिनांक 15.02.2013 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा वेबसाईट को स्वतः चेक करने की मंशा व्यक्त की गई है एवं आदेशित किया गया है कि समय–सीमा में सभी कार्यवाही पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग के भार–साधक सचिव की होगी।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जावे।

(डॉ0 बी0एल0 अग्रवाल)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक 142 /जी–1418/2012/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 08/02/2013

प्रतिलिपिः–

1. श्री संदीप जैन, उप सचिव (आई.आर.) कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली की ओर आपके पत्र क्रमांक 13/8/2012/(आई.आर.) दिनांक 21 जनवरी, 2013 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, महानदी भवन, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

(के0आर0 मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

महत्वपूर्ण प्रकरण
समय–सीमा

सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
"मंत्रालय"
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 257 /जी–1418/2012/1–सूअप्र नया रायपुर, दिनांक 08 /02/2013

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छ0ग0 शासन (छ0ग0 मानव अधिकार आयोग, रायपुर, छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर, कार्या. आयुक्त, रायपुर संभाग, नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा मुख्यालय छत्तीसगढ़, कार्या. प्रमुख अभियंता, लो.स्वा.यां.विभाग, रायपुर, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, विमानन विभाग, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमि., कार्या. आयुक्त, रायपुर संभाग, जिला कोषालय अधिकारी, नारायणपुर, कार्या.लोक अभियोजन, संचालनालय, छ0ग0 रायपुर, पंजीयक, छ0ग0 राज्य गौसेवा आयोग, रायपुर, कार्यालय छ0ग0 लोक आयोग, रायपुर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.राज./सम.) छ.ग. रायपुर, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, कार्या. नियंत्रक, नापतौल, रायपुर, छत्तीसगढ़, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ रायपुर, कार्या. आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर को छोड़कर)
समस्त विभागाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4 के संबंध में जनहित याचिका क्रमांक WP(PIL) 35/2012 में (मान. उच्च न्यायालय छ.ग.) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2012.

संदर्भ :– इस विभाग का परिपत्र क्र.3110/जी–1721/2011/1–सूअप्र, दि.13.09.2012 एवं क्र.4000 /जी–1418/2012/1–सूअप्र, दि.13.12.12 एवं परिपत्र क्र.828/जी–1721/2011/1–सूअप्र 2011/1–सूअप्र, दि.24.11.2012 एवं स्मरण पत्र दि.24.01.2013.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्रों द्वारा आपके विभाग की समस्त विभागीय जानकारी अपने विभाग के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालन प्रतिवेदन आज दिनांक तक अपेक्षित है।

2/ आदेशानुसार कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इस विभाग के उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों द्वारा दिए गए निर्देशों का यथाशीघ्र पालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करें, तथा पालन प्रतिवेदन इस विभाग को भी उपलब्ध करावें।

7/2/13
(जी.आर.चुरेन्द्र)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक 258 /जी—1418/2013/1—सूअप्र, नया रायपुर, दिनांक 06 /02/2013

प्रतिलिपिः—

1. निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड, शंकर नगर, रायपुर।
3. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, महिला थाना के पास, रायपुर।
4. समस्त संभागायुक्त।
5. समस्त कलेक्टर।
6. प्रशिक्षण संचालक, छ.ग.शासन, प्रशासन अकादमी, नया रायपुर।
7. स्टॉक पंजी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

7/2/13

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

स्मरण–पत्र
तत्काल

सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
"मंत्रालय"
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 1–1/2011/1–सूअप्र नया रायपुर, दिनांक 11 /02/2013

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छ0ग0 शासन
समस्त विभागाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़

विषय :– Suo motu disclosure on official tours of Ministers and other officials.

संदर्भ :– इस विभाग का परिपत्र क्र.एफ 1–1/2011/1–सूअप्र दिनांक 12.10.2012.

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र का अवलोकन करें। संदर्भित परिपत्र द्वारा भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली का पत्र क्र.1/8/2012–आईआर, दिनांक 11.09.2012 में उल्लेखित दिशा–निर्देशों पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लेख किया गया है।

2/ निर्देशानुसार कृपया उपरोक्त संदर्भित परिपत्र के संबंध में आपके विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से इस विभाग को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

(कमर अली)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 1–1/2011/1–सूअप्र नया रायपुर, दिनांक 11 /02/2013

प्रतिलिपिः–

1. श्री संदीप जैन, उपसचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर
3. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, महिला थाना के पास, रायपुर
4. समस्त संभागायुक्त।
5. समस्त कलेक्टर।
6. प्रशिक्षण संचालक, छ.ग.शासन, प्रशासन अकादमी, इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, रायपुर,
8. स्टॉक पंजी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

समय–सीमा / शीघ्र

सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड–492002

क्रमांक एफ 11–1 / 2013 / आरटीआई / सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013,

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव,
प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
महानदी भवन, नया रायपुर (छ..ग.)

विषयः– छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने बाबत् ।

–––000–––

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की – **कंडिका–5.04**–मंत्रालय के विभागों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत पदनामित लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय अधिकारियों की पूर्ण सूची सूचना पटल पर प्रकाशित कराई जाये, ताकि जन सामान्य की सुविधा हेतु सुलभ हो सके ।

2 / – **कंडिका–505–** सभी विभागों के सचिवों द्वारा प्रतिवर्ष यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये कि आपके विभाग एवं अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों द्वारा धारा–4 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वमेव प्रकटन एवं विभागीय मेन्युअल की जानकारी अद्यतन कर दी गई है ।

3 / – अतः अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कियान्वयन प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए आपके विभाग के अधीनस्थ लोक प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी कर कंडिका–4 का कियान्वयन सुनिश्चित करते हुए कंडिका–5 के संबंध में प्रतिवर्ष इस विभाग को प्रमाण पत्र भेजने का कष्ट करें।

(कमर अली)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 11–1 / 2013 / आरटीआई / सूअप्र, रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013,

प्रतिलिपिः–

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार, रोड़ शंकर नगर, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 336 / स्था. / छगरासूआ / 13, दिनांक 28.2. 2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

सूचनो का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड– 492002

क्रमांक 768 /जी.2071/2012/1–सूअप्र, रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़ ।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील प्रकरणों का निपटारा समयावधि में करने बाबत् ।

संदर्भ :– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 2–27/2006/1/6, दिनांक 20.12.2006, परिपत्र क्रमांक एफ 2–11/2006/1–6, दिनांक 20.07.20107 एव परिपत्र दिनांक 30.07.2007 ।

––00––

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों का कृपया अवलोकन करें । संदर्भित परिपत्रों द्वारा अपील प्रकरणों के निराकरण संबंधी कार्यवाही के संबंध में निर्देश जारी किए गये हैं । किन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को गलत, अपूर्ण या भ्रमपूर्ण जानकारी दिए जाने की स्थिति में, अपीलीय अधिकारी, विभागीय अधिकारी होते हुए भी सुस्थापित विधि के अनुसार प्रस्तुत तथ्यों का न्यायिक विश्लेषण नहीं करते हैं । जिससे द्वितीय अपील आवेदनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि चिन्ताजनक है ।

2/ इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में सूचना का अधिकार के तहत नियुक्त किए गए सभी प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपीलों की सुस्थापित विधि के अनुसार प्रस्तुत तथ्यों का न्यायिक विश्लेषण कर विधिवत सुनवाई और समयावधि में विधिवत निराकरण करने के लिए निर्देशित किया जावे तथा निरीक्षण के समय प्रथम अपीलीय अधिकारियों के कार्यो की समीक्षा भी की जाये । अपीलीय अधिकारियों द्वारा विधिवत कार्य नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए ।

निरंतर.....2

3/ यहॉ यह उल्लेखनीय है कि यदि अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक हो तो इस संबंध में प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर से संपर्क कर उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये ।

(के.आर.पिस्दा)
सचिव, 29/4/2013
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां. क्रमांक 769 /जी.2071/2012/1–सूअप्र, रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल, 2013

प्रतिलिपिः–

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
2. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. समस्त विशेष सहायक/निज सचिव, मुख्यमंत्री/मंत्री/संसदीय सचिवगण, मंत्रालय, नया रायपुर,
4. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर,
5. संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर,
6. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, शंकर नगर रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सचिव, 29/4/2013
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड– 492002

क्रमांक एफ 1–1/2011/1–सूअप्र, रायपुर, दिनांक 03/06/2013

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त संभागायुक्त/विभागाध्यक्ष/कलेक्टर
छत्तीसगढ़

Sub :- Suo motu disclosure on official tours of Ministers and other official.

संदर्भ :– इस विभाग का परिपत्र क्र.एफ 1–1/2011/1–सूअप्र, दि.12.10.2012.

––00––

उपर्युक्त विषयांतर्गत इस विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्र का कृपया अवलोकन हो। उक्त परिपत्र मे भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 1/8/2012–आईआर, दिनांक 11.09.2012 की छायाप्रति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है।

2/ भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के उक्त कार्यालय ज्ञापन में माननीय मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये गये भ्रमण को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4 के तहत् स्व–प्रगटीकरण किये जाने हेतु उनके यात्राओं का विवरण 'इंटरनेट' पर अपलोड कराने का सुझाव दिया गया है।

3/ भारत सरकार के उपरोक्त सुझाव के संदर्भ में विचारोपरांत राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छ0ग0 नक्सल प्रभावित राज्य होने से राज्य के भीतर माननीय मंत्रीगणों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के भ्रमण की सूचनाओं का स्व–प्रेरणा से प्रगटीकरण करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं होगा, केवल अधिकारियों की विदेश भ्रमण की जानकारी का स्व–प्रगटीकरण किया जा सकता है।

(कमर अली)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्र0 एफ 1–1/2011/1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 03 /06/2013
प्रतिलिपि :–

1. श्री संदीप जैन, उपसचिव, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/8/2012–आईआर, दिनांक 11.09.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर।
3. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, महिला थाना के पास, रायपुर।
4. समस्त संभागायुक्त।
5. समस्त कलेक्टर।
6. प्रशिक्षण संचालक, छ.ग.शासन, प्रशासन अकादमी, इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं वेबसाईट में अपलोड करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
8. स्टॉक पंजी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड– 492002

क्रमांक 1097/जी–704/2013/1–सूअप्र, रायपुर, दिनांक 17/06/2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :– मंत्रिमंडल सचिव, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र पर कार्यवाही करने बाबत्।

संदर्भ :– मंत्रिमंडल सचिव का पत्र DO No.501/2/3/2013–CAV दिनांक 07.05.2013.

––00––

उपर्युक्त विषयांतर्गत मंत्रिमंडल सचिव, नई दिल्ली से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक DO No.501/2/3/2013–CAV दिनांक 07.05.2013 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2/ आदेशानुसार कृपया मंत्रिमंडल सचिव, नई दिल्ली के उपरोक्त अर्द्धशासकीय पत्र में दिये गये निर्देशानुसार अपने अधीनस्थ कार्यालयों/निगम, मंडल, (बोर्ड) से जानकारी प्राप्त कर, यथाशीघ्र संकलित जानकारी छ.ग. राज्य सूचना आयोग, रायपुर को भिजवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करायें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

17/6/2013
(कमर अली)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्र0 1098/जी–704/2013/1–सूअप्र, रायपुर, दिनांक 17/06/2013

प्रतिलिपिः–

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर की ओर मंत्रिमंडल सचिव का पत्र DO No.501/2/3/2013–CAV दिनांक 07.05.2013 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित।

17/6/2013
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

1492

AJIT SETH

मंत्रिमंडल सचिव
CABINET SECRETARY
NEW DELHI

सत्यमेव जयते

DO No.501/2/3/2013-CAV

May 7, 2013.

Dear Chief Secretary,

As you are aware, Section 25(2) of the Right to Information Act, 2005 requires that each Ministry and Department shall collect and provide information every year to the Central Information Commission to enable the Commission to prepare an annual report on the implementation of the provisions of the RTI Act. For this purpose, a web based software called "RTI Annual Report Information System" is available on the website www.cic.gov.in through which public authorities are required to upload requisite reports on a quarterly basis.

2. However, it has been brought to my notice that some Union Territories have not submitted their returns for 2012-13. This results in delay in preparation and submission of the Central Information Commission's annual report to the Parliament. The Parliamentary Standing Committee has also expressed their serious concern over non-submission of reports by a large number of public authorities.

3. I request you to please take immediate steps to ensure that all public authorities under your administrative control are duly registered and up-to-date accurate returns along with arrears are filed through the web based software without further delay.

With regards,

Yours sincerely,

(AJIT SETH)

Shri Sunil Kumar
Chief Secretary,
Govt. of Chhatisgarh,
Secretariat,
Raipur.

US (A)
RTI

1299
20-5-2013

सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, रायपुर
---00---

पं.क्र. 1281 / जी–778 / 2013 / 1–सूअप्र रायपुर, दिनांक 10/07/2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर्स
छत्तीसगढ़

विषयः– जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम / पद / पता / अपील आवेदन पत्र पर स्पष्ट अंकित करने संबंधी।

---0---

आदेशानुसार आपके कार्यालय में पदस्थ जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता एवं मोबाईल नंबर आदि की सूची सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) को तत्काल उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10/7/2013
(कमर अली)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

पृष्ठांकन क्र. / जी–778 / 2013 / 1–सूअप्र रायपुर, दिनांक ....

प्रतिलिपिः–

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर की ओर आपके पत्र क्रमांक 955 / स्था / छगारासूआ / 13 रायपुर, दिनॉक 24.05.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड– 492002

सूचना का अधिकार

क्रमांक 1369/जी–864/2013/1–सूअप्र, नया रायपुर, दिनांक 23/07/2013
प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– Advisory to provide adequate security of RTI Activists Regarding.

---00---

उपर्युक्त विषयांतर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र No.24013/39/Misc./2013-CSR.III दिनांक 14.06.2013 की छायाप्रति सहपत्रों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(कमर अली)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्र0 1370/जी–864/2013/1–सूअप्र, नया रायपुर, दिनांक 23/07/2013
प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक No.24013/39/Misc./2013-CSR.III दिनांक 14.06.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)।
3. स्टॉक पंजी।

की ओर सूचनार्थ एवं आावश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

No. 1989 /CS/2013/GOI
Date 22 JUN 2013

No. 24013/39/Misc./2013-CSR.III
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs
******

NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi
Dated the 14th June 2013.

To,

The Chief Secretaries,
All State Governments/UT Administrations.

Subject: Advisory to provide adequate security of RTI Activists-Regarding.

Sir/Madam,

As you are aware, after promulgation of the Right to Information Act, 2005 incidents of attack on the RTI activists have been reported. Thereafter in order ensure the Safety to the RTI Activists, Ministry of Home Affairs had issued an Advisory on 1-3-2011, a copy of which is enclosed at Annexure-I.

2. The Department of Personnel & Training (DOPT), Government of India has recently conveyed that they had set up a Task Force in May 2011 to review the provisions made in Right to Information Act 2005 and also to recommend measures for its better implementation and enforcement and to suggest the measures for protection of persons seeking information under the RTI Act. The Task Force has given certain suggestions regarding ensuring of the security of the RTI Activists, which is attached at Annexure-II.

3. Since the 'Police' and 'Public Order' being State subjects under the Seventh Schedule to the Constitution of India, the State Governments/UT Administrations are again requested to consider the recommendations /suggestions of the Task Force for immediate compliance.

...2/-

4. The State Governments/UT Administrations may also consider taking any additional measures/mechanisms to introduce in their respective jurisdiction for the strict compliance of the above suggestion of DOPT. This Ministry may also be kept apprised of any special measures/mechanisms taken in their respective jurisdictions so that the same could be circulated to the other State Governments and UT Administrations for consideration/ adoption.

5. It is also requested to kindly ensure that this comprehensive instruction is circulated amongst all the concerned Departments/ Organisations under your jurisdiction for strict compliance.

Yours faithfully,

(S. Suresh Kumar)
Joint Secretary to the Govt. of India,
Tele No. 23093410.

Encl: As above

Copy for information and necessary action to:-

1. The Principal Secretary/ Secretary Home – All State Governments/UT Administrations.
2. The Director General of Police – All State Governments/UT Administrations.
3. The Secretary, Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi.
4. The Director, Central Bureau of Investigation, CBI Hqrs, CGO Complex, New Delhi.
5. Registrar General, Supreme Court of India, New Delhi.

Ministry of Home Affairs
(CS Division)
******

Sl No. 41(1)

North Block, New Delhi
Dated 1st March 2011

To,

The Chief Secretaries of all State Governments/UT Administrations.

Subject:-Petition of Shri Gaurav Aggarwal through Hon'ble Supreme Court of India regarding RTI Activists-

Sir,

I am directed to forward a copy of a letter dated 28-9-2010 from the Addl. Registrar of Hon'ble Supreme Court, along-with a letter dated 30-07-2010 addressed to Chief Justice, Hon'ble Supreme Court by Shri Gaurav Aggarwal seeking direction of Hon'ble Supreme Court for CBI enquiry into mysterious deaths (alleged murder) of eight RTI Activists in the country.

3. It is requested that measures, as deemed appropriate, may please be taken to ensure the safety of the RTI activists and the action taken position may please be intimated directly to the petitioner under intimation to the Additional Registrar, Supreme Court of India and this Ministry.

Yours sincerely,

Encl: As above

1/3

(K.K. Pathak)
Joint Secretary to the Government of India
Tel 2309 2630.

O/C

ISSUED
11 MAR 2011
MHA (HB)

...2/-

Copy to:-

1. The Home Secretary, Government of Maharashtra, Mantralaya, Mumbai.

2. The Principal Secretary (Home), Government of Andhra Pradesh, A.P. Secretariat, Hyderabad.

3. The Home Secretary, Government of Bihar, Main Secretariat, Patna.

4. The Home Secretary, Government of Gujarat, Sachivalaya, Block No. 2, 2nd Floor, Gandhi Nagar- 382010.

5. The Additional Registrar, Supreme Court of India, New Delhi w. r. to their letter No. 10811/SC/PIL/2009 (15134/2010) dated 28th September 2010 along-with a copy of this Ministry's ID note of even number dated 21-12-2010 and CBI's letter No. 21/1/2011-PD/477 dated 17-02-2011.

6. Secretary, DOPT, North Block, New Delhi w. r. to this Ministry's ID Note of even number dated 21-12-2010 along-with a copy of the CBI's letter F. No. 21/1/2011-PD/477 dated 17-2-2011 with a request that as the RTI Act is administrated by the DOPT, an appropriate reply on behalf of the Government of India may please be furnished for information of the Hon'ble Supreme Court. under intimation to the MHA.

7. Shri Saurabh Tripathi, Asstt. Inspector General of Police (P), CBI, Policy Division, North Block, New Delhi w. r. to CBI's letter F.No. 21/1/2011-PD/ 477 dated 17-2-2011 for information.

(K.K. Pathak)
Joint Secretary to the Government of India
Tel 2309 2630.

O/C

Regist-

Annexure II

Steps to be taken in matters relating to threat to RTI activists

6.1 The Task Force discussed the issue relating to threat of RTI activists and felt that this is a serious matter which would require more detailed discussions especially with law enforcement agencies. However, Task Force members felt that pending such detailed deliberations following may be taken up for immediate action:

(a) Parliamentary Standing Committee, while discussing 'Whistle Blowers Bill' has also given certain guidance in regard to threat to RTI users. These may be adequately addressed while redrafting the Bill.

(b) National Human Rights Commission (NHRC) has a policy to take action in matters relating to human rights defenders. The Task Force is of the view that RTI activists are also covered under the definition of a human rights defender and NHRC may be impressed upon to recognize them as such. This recognition would go a long way in helping the police to take complaints from the victims or an attack on a RTI activist as a result. The NHRC should also be requested to take action on complaints of attacks on RTI users and to seek report from the concerned police about the progress of the investigation in relation to such attacks and to give suitable directions to ensure the safety of the life and property of activists under threat.

(c) The Task Force is of the view that if an RTI user or activist is being threatened or attacked to prevent him from accessing information under the Act, then it becomes a complaint case under Section 18 of the RTI Act and Information Commissions may take cognizance of such complaints and may conduct necessary enquiries, etc., as provided in the Act. They should also ensure that information seeking of which caused such attacks or threats is expeditiously publicized.

(d) State Information Commission of Gujarat has taken some proactive steps whereby directions are issued to police authorities and district collectors immediately (upon receiving complaints under section 18 of RTI Act, along with details of the threats/attacks/pressures and copy of intimation of the same to nearest police station) for providing necessary protection to an RTI activist under threat and also for conducting enquiries. In case an RTI applicant is attacked, the complaints filed by applicants closest relation or civil society organization or mandal are also taken into consideration for immediate actions. Other states may also be encouraged to adopt similar practice.